भारत में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता (विशेषतः बिहार राज्य के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

कंचन कुमारी*

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। उसमें युगानुरुप परिवर्तन होते रहे हैं । उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। जहां वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां समान रूप से आदर व प्रतिष्ठित थी । स्त्रियों की अवनति दौर संस्थानिक रूप से उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ और मध्यकाल में इनकी स्थिति अनेक कुप्रथाओ एवं समाजिक अंकुशो ने और भी दयनीय कर दी । अशिक्षा और रूढ़िवादी जकड़ता ने स्त्रियों को घर की चारदीवारी में कैद कर उन्हें अबला, रमणी और भोग्या बना दिया।

19 वीं सदी के पुर्वार्ध में भारत के समाजसेवीयों जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि ने अत्याचारी एवं महिला उत्थान विरोधी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और समाज से पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु-विवाह प्रथा पर रोक एवं हिन्दू विधवा पुनर्विवाह से संबंध समाजोद्धारक कार्य किए और इससे संबंधित कानून पास करवाए। परिणाम स्वरूप भविष्य में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नए नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल-विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा की मांग की गई।

स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेंध जाति बंधन स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में समाहित करने

***शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया**

हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है । महिलाओं को विकास की अविरल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें अपने अधिकारो और दायित्वो के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभीरुचि उत्पन्न कर उन्हें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने से उनकी सामाजिक-मानसिक स्थिति में अमूल्य परिवर्तन हुए है। महिलाओं को पिता की संपत्ति एवं विवाह विच्छेद परिवार की संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिलना, दहेज पर कानूनी प्रतिबंध एवं उन व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान, जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं और रूढ़िवादी सोच के साथ बेवजह घरेलू हिंसा के अंतर्गत पत्नी एवं बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन से महिलाओं को सम्मानित स्थान मिला है, जिससे लड़कियों की शिक्षा को एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा है। अब तो लिव इन रिलेशनशिप को भी भारत में कानूनी मान्यता मिल गई है और यह मान्य संबंध माना जाने लगा है। अर्थात आज के दौर में महिलाओं के लिए वातावरण अधिक समताकारी होने से इन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के पर्याप्त अवसर मिलने लगे हैं।

21 वीं सदी वस्तुतः महिला सदी है । वर्ष 2001 ''महिला सशक्तिकरण'' वर्ष के रूप में मनाया गया । महिला सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं के समग्र विकास एवं समानता प्राप्त हेतु इनकी क्षमता और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरुक करने का प्रयास किया गया । 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई । जिसके फलस्वरूप देश में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है । साथ ही उन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें कुछ निम्नवत है:-

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम**- बालिकाओं के आस्तित्व संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

• **किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)**- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देव-रेव में केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1, 2011 को शुरू की गई जिसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियो को पका हुआ खाना साथ ही आयरन की गोलियाँ दी जाती है जो कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत परिचालित की जा रही है।

• **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना**- यह कार्यक्रम 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है । यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था ।

• **महिला शक्ति केंद्र योजना**- यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए अंब्रेला स्कीम के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का कार्य किया जाता है या योजना राष्ट्र राज्य और जिला स्तर पर काम करता है।

• **नारी शक्ति पुरस्कार**- यह राष्ट्रीय स्तर पर 1999 से आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थाओ द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान हेतु यह पुरस्कार नगद एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है।

• **वर्किंग वुमन हॉस्टल**- इस योजना का उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना साथ ही उनकी जरूरत की चीज आस-पास उपलब्ध कराना है । यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद है।

• **कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना**- यह योजना केंद्र एवं राज्य सरकार के क्रमशः 75% और 25% के योगदान से 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा से नीचे परिवार की 10 वर्ष की उपर की बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया।

• **प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना**- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 में गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए की गई जो कि उनके स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई। इसके अलावा महिलाओं को दिन भर की चौका बर्तन से बाहर निकल अपने को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ाने वाला एक कदम है।

• **स्वाधार घर योजना**- इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को जिनमे वेश्यावृति से मुक्त, रिहा कैदी, तस्करी से पीड़ित, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करने के अलावा भोजन, कानूनी परामर्श, चिकित्सा, व्यवसाय प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत 2001 से 2002 में शुरू की गई । जिसमें इन महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक मजबूती प्रदान करने में मदद प्राप्त हो सके।

• **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP)**- इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं या लड़कियों का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार या उद्यमी बनने को प्रेरित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है और यह योजना भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से 1986-1987 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई । इस योजना में अनुदान सीधे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को संस्था, संगठन या गैर सरकारी संगठन को सीधे ही दिया जाता है।

उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से यह तो स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और निरंतर यह क्रम जारी है। यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिका में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज ना कराई हो। फिर भी स्त्रियां अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। यह सत्य है कि आज की स्त्रियां सशक्त एवं गतिशील हो रही है परंतु अभी भी इस क्षेत्र में बहुतेरे कार्य बाकी हैं। हॉ, रास्ते पर हम चल दिए परंतु रास्ते अभी भी बहुत कठिन है और यह निरंतर जारी रहेगी जब तक समाज में स्त्रियां केवल कहने के लिए ही पूजनीय न कहलाए। अपितु धरातल पर भी पुरुषों के ही समान सम्मान, समृद्धि अधिकार, समान कार्य भार को प्राप्त हो, गर्व से अपने को स्त्री रूप में स्वीकार कर जीवन जी सकें।

इस संदर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानंद का कथन उल्लेखनीय है

''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वें अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके हमें नारी शक्ति का उद्धार नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियों संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं सन्निहित है।''

सर्वविदित है कि बिहार को एक बीमारू राज्य कहा जाता है। अर्थात शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है और बिहार की 88-14% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर क्या होगी। अगर हम 2001 में देखते हैं तो बिहार की साक्षरता दर 47-00% थी जबकि 2011 में यह बढ़कर 63-8% हुई जिसमें महिला साक्षरता दर 2011 में 53% जबकि यही 2001 में मात्र 33-6% थी अर्थात महिला साक्षरता दर में 2001–11 के बीच 19-7% का बड़ा बढ़त देखा गया। हालांकि भारत की महिला साक्षरता दर जो कि 2011 में 65.46% है। अभी काफी कम बिहार की महिला साक्षरता दर है। परंतु इसमें 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वह भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक है। विशेषकर महिला साक्षरता दर में। वर्ष 2015 में मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने लोकसभा में यह कहा भी की बिहार में महिला साक्षरता दर में सम्मानजनक वृद्धि की है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त महिला सशक्तिकरण एवं गतिशीलता कार्यक्रम एवं योजना के साथ–साथ बिहार सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो महिलाओं के लिए कार्य किए गए जिनमें पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर विकास चुनाव में 50% आरक्षण, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी, बेटी के जन्म लेने से स्नातक स्तर की पढ़ाई करने तक का कुल 54100/–सरकार को खर्च करना, स्कॉलरशिप योजना, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आदी अनेक ऐसे साकारात्मक पहल की शुरुआत की जिसने बिहार की तस्वीर बदलने में मदद की अर्थात भारत सरकार के साथ–साथ बिहार सरकार की इस सकारात्मक एवं विकासात्मक पहल ने आज बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐसी परिपाटी का निर्माण किया है जो बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर करते हुए एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में स्थापित कर रहा है और इसमें केंद्र सरकार एवं बिहार राज्य सरकार के उपयुक्त कदम का योगदान काफी सराहनीय एवं महिला उत्थानोत्मक है।

संदर्भ–सूची

1. जागरण जोश हेमंत सिंह 19 दिसंबर 2016
2. गुड रिटर्न्स हिंदी पर्सनल फिनांस, प्रतिमा पटेल, मई 31 2018
3. राजकुमार डॉक्टर नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005

4. श्रीनिवास एम.एन.(1978) द चेंजिंग पोजिशन ऑफ इंडिया वुमन, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस मुंबई
5. सिंह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र मार्च 2006
6. आहूजा राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।
7. अवंड ज्योति